

संलग्न पत्र के अन्तर्गत एक
शुल्क के माद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 दि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001"

पंजीयन क्रमांक छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-33



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293]

रायपुर, अग्रिम दिनांक 10 सितम्बर 2008—भाद्र 19, शक 1930

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2008

आदेश

क्रमांक एक 10-1/2006/16.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का
विनियमन) नियम 2008 के नियम 251 अनुसार समिति का गठन निम्नानुसार करता है :-

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

(एक)	श्री मोहन एंटी, अध्यक्षता फाफाडीह रायपुर	पदेन अध्यक्ष
(दो)	क्षेत्रीय भविष्यनिधि आधुक्त	पदेन सदस्य
(तीन)	मुख्य निरीक्षक	पदेन सदस्य
(चार)	शासकीय विभागों के प्रतिनिधि	
	1. प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग	पदेन सदस्य
	2. प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग	पदेन सदस्य